कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल
ओक पार्क हाउस, मल्लीताल, नैनीताल ।

निविदा सूचना का विवरण

भारतीय नागरिको से कैलाश–मानसरोवर/आदि कैलाश यात्रा 2017 मे दिनांक 12.6.2017 से 30.9.2017 तक सम्मलित होने वाले यात्रियों का सामान तथा निगम की खाद्य सामग्री एवं उपयोगी उपकरणों की निर्धारित शिविरों तक ढुलान हेतु (अवधि अधिक या कम हो सकती है)मुहरबन्द निविदायें निम्न प्रकार आमंत्रित की जाती है :–

क्र. सं.	कार्य का नाम	धरोहर राशि	निविदा प्राप्त होने की अन्तिम तिथि/ स्थान/समय	निविदा खोलने की तिथि/स्थान	अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाने वाले प्रपत्र	टेण्डर फार्म की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	कैलाश–मानसरोवर यात्रा (नारायण स्वामी आश्रम से लिपुपास एवं वापस नारायण स्वामी आश्रम तक) आदि कैलाश यात्रा (मांगती से ज्योंलिंगकॉग एवं वापस मांगती तक)	**रू0 1,00,000.00** (बैंक ड्राफ्ट जो कु0म0वि0नि0 नैनीताल के नाम बन्धक हों)	10.04.2017 सांय 2.00 बजे तक कार्यालय, कु0म0वि0नि0 कार पार्किग, सूखाताल मल्लीताल नैनीताल	10.04.2017 सांय 3.00 बजे कार्यालय, कु0म0वि0नि0 कार पार्किग, सूखाताल मल्लीताल नैनीताल	1–हैसियत प्रमाण प्रत्र 2–चरित्र प्रमाण पत्र 3–स्थाई प्रमाण पत्र 4–30 खच्चरों के स्वामित्व का प्रमाण पत्र 5– 30 खच्चरों के बीमा प्रपत्र 6– अनुभव प्रमाण पत्र 7–आय कर प्रमाण–पत्र (PAN CARD)	**रू0 2000/– (दो हजार रूपया मात्र) + वैट**

कैलाश मानसरोवर यात्रा एवं आदि कैलाश यात्रा के ढुलान टेण्डर फार्म शर्ते आदि इस निगम के **पर्यटक आवास गृह, धारचूला, अथवा प्रधान कार्यालय, कार पार्किग, सूखाताल मल्लीताल, नैनीताल से** कार्यालय दिवस में **प्रातः 10 बजे से 5 बजे** तक नकद धनराशि देकर प्राप्त की जा सकती है ।

निविदाये टेण्डर बॉक्स मे डाली जायेगी । जो 2.00 बजे तक मान्य होगी । बिना धरोहर राशि के निविदा मान्य नही होगी ।

प्रबन्ध निदेशक को किसी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

प्रबन्ध निदेशक

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल ।

निविदा सूचना

भारतीय नागरिको से कैलाश–मानसरोवर/आदि कैलाश यात्रा हेतु यात्रियों का सामान तथा निगम की खाद्य सामग्री एवं उपयोगी उपकरणों की निर्धारित शिविरों तक ढुलान हेतु पंजीकृत डाक मुहरबन्द निविदायें निम्न प्रकार आमंत्रित की जाती है :–

(1)	कैलाश मानसरोवर यात्रा	नारायण स्वामी आश्रम से लीपुपास एवं वापस मांगती तक
(2)	आदि कैलाश यात्रा	मांगती से नाबिढ़ांग एवं ज्योलिंगकॉग तथा वापस मांगती तक

कैलाश मानसरोवर यात्रा/आदि कैलाश यात्रा हेतु निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि **10.04.2017 सांय 2.00 बजे** तक मान्य होगी ।निविदायें टेण्डर बाक्स में डाली जायेगी, जो **दिनॉक 10.04.2017 को सांय 3.00 बजे** उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख निगम द्वारा नियुक्त अधिकृत समिति द्वारा निगम के मुख्यालय, कार पार्किंग, मल्लीताल,सूखाताल नैनीताल में खोली जायेगी । निविदा के साथ धरोहर राशि **रू0 1.00 लाख (एक लाख रूपये)** मात्र की राशि का **बैंक ड्राफ्ट जो कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल के नाम बन्धक होगी, संलग्न करना अनिवार्य होगा ।** बिना धरोहर राशि निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी । निविदा हेतु निर्धारित तिथि/समय एवं विस्तृत कार्य शर्तो का उल्लेख निविदा प्रपत्र मे दर्शाया गया है, जो निगम की बेवसाइड kmvn.gov.in/home/tender/1 मे भी उपलब्ध है ।

इच्छुक व्यक्ति निविदाये प्रपत्र निगम के **प्रधान कार्यालय, कार पार्किंग, मल्लीताल, सूखाताल नैनीताल/ पर्यटक आवास गृह, धारचूला** से किसी भी कार्य दिवस में **प्रातः 10 बजे से 5 बजे सॉय** तक **रू0 2000.00 (दो हजार रूपये मात्र)** नकद धनराशि देकर प्राप्त की जा सकती है ।

प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि को किसी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
प्रबन्ध निदेशक

निविदा की मुख्य शर्ते :–

1– टेण्डरदाता को कैलाश मानसरोवर यात्रा/आदि कैलाश यात्रा 2017 हेतु खच्चर एवं पोर्टर की दरे प्रति कि0मी0/प्रति किग्रा0 के आधार पर भरी जायेगी ।

2– टेण्डरदाता को चरित्र प्रमाण–पत्र जो जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा जारी संलग्न करना होगा । इसके अतिरिक्त टेण्डरदाता को अपना हैसियत प्रमाण–पत्र जो कि कम से कम 5.00 (पांच लाख रूपये मात्र) को जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा जारी संलग्न करना होगा ।

3– टेण्डरदाता को स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की छाया प्रति जो राज पत्रित अधिकारी से प्रमाणित हो संलग्न करना होगा ।

4– टेण्डरदाता को यात्रा अवधि मे खच्चर एवं पोर्टर का बीमा करना आवश्यक होगा तथा टेण्डरदाता को कम से कम 30 खच्चरों को स्वामित्व होना आवश्यक होगा । जिसका प्रमाण–पत्र न्यूनतम चयनित टैण्डरदाता को यात्राधिकारी को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।

5– टेण्डरदाता को ढुलान कार्य का तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र जो कुमाऊँ मण्डल विकास निगम/अर्द्व सैनिक संस्थाओं/अन्य विभागों से प्राप्त प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

6– टेण्डरदाता को टेण्डर फार्म के साथ रू0 1.00 लाख (एक लाख रूपये मात्र) का बैक ड्राफ्ट जो कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के नाम बन्धक हो संलग्न करना होगा ।

7– बिना धरोहर राशि के निविदा मान्य नही होगी ।

8– निविदा प्रपत्र का मूल्य किसी भी दशा में वापस नही होगा ।

9– टेण्डरदाता को निविदा के साथ आयकर प्रमाण–पत्र (Pan Card) संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

10– निविदायें टेण्डर बॉक्स में दिनॉक 10.4.2017 को निगम मुख्यालय स्थित टैण्डर बॉक्स में 2.00 बजे तक डाली जायेगी तथा निविदाये उसी दिन 3.00 बजे निगम द्वारा उपस्थित निविदादाताओं एवं के सम्मुख अधिकृत समिति सदस्यों द्वारा खोली जायेगी ।

अन्य शर्ते :–

11– निविदाये खोले जाने पर यदि एक से अधिक निविदाये समान दरों पर प्राप्त होती है तो लाटरी पद्वति द्वारा ठेकेदार का चयन किया जायेगा । लाटरी खोलने के उपरान्त विनर एवं रनर दो व्यक्तियों के नाम परिणाम तालिका मे अंकित किये जायेगे । यदि किन्ही कारणो से विनर वाला व्यक्ति नियत समय मे निगम द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण नही कर पायेगा तो उसकी धरोहर धनराशि निगम द्वारा जब्त करते हुये उस स्थित मे निगम रनर व्यक्ति को औपचारिकताये पूर्ण करने का अवसर प्रदान करने पर विचार किया जोयगा ।

12– जिस व्यक्ति के नाम कैलाश–मानसरोवर/आदि कैलाश के टैण्डर स्वीकृत होगा उसे रू0 5.00 लाख की धनराशि की एफ0डी0आर0 जो प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के नाम बन्धक जमानत के रूप में 3 दिन के भीतर जमा करनी होगी ।

13– टैण्डर स्वीकृत होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को 110/– रू0 (एक सौ दस रूपया) के नॉनज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जाना होगा । निविदा की दरों की वैधता पॉच माह जून, 2017 से अक्टूबर,2017 तक के लिए होगी । निविदा स्वीकृत होने की दशा में अनुबन्ध में हस्ताक्षर करने से पूर्व प्रतिभूतियों के रूप में (Diposit) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टैम्प ड्यूटी देय होगी । निगम से तीन दिन के अन्दर अनुबन्ध करना होगा ।

14– न्यूनतम निविदा दाता की निविदा स्वीकृत होने पर कार्य न करने की दशा में / अनुबन्ध में हस्ताक्षर न करने की दशा में उनकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी ।

15– ठेकेदार को निगम की आवश्यकतानुसार कुलियों व खच्चरों का प्रबन्ध यात्रियों व निगम के सामान ढुलान हेतु करना होगा ।

16– ठेकेदार को भारतीय नागरिक होना आवश्यक होगा तथा यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि कुली भारतीय हो (जो भारत का नागरिक हो) नेपाली कुलियों को यात्रा ढुलान कार्य हेतु कदापि न लगाया जाय । यह व्यवस्था केवल कैलाश–मानसरोवर यात्रा एवं आदि कैलाश यात्रा के लिये लागू होगी ।

17– कैलाश–मानसरोवर यात्रा की समस्त सामग्री ठेकेदार को धारचूला में तोल कर दी जायेगी तथा ठेकेदार के माध्यम से सामग्री छोटे वाहनों द्वारा नारायण स्वामी आश्रम तक भेजी जायेगी तथा लौटते समय सामग्री मॉगती से धारचूला तक छोटे वाहनों से भेजा जायेगा । आदि कैलाश यात्रियों का सामान सीधे मॉगती तक छोटे वाहनों से भेजा जायेगा । बस मार्ग अवरूद्ध होने के दशा में यदि सामान ठेकेदार द्वारा पार्टर्स के माध्यम से ले जाया जाता है तो उसका भुगतान निविदानुसार ठेकेदर द्वारा दी गयी ढुलान दरों पर ही होगा ।

18– ठेकेदार द्वारा ढुलान की जा रही सामग्री में किसी भी किस्म की टूट–फूट एवं सामग्री की कमी अथवा खोने के लिये ठेकेदार पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे । इस सम्बन्ध में निगम के कैम्प प्रबन्धक एवं यात्रियों का प्रमाण–पत्र अन्तिम माना जायेगा ।

19– मार्ग में मजदूरों के लिये आवास आदि की व्यवस्था का वैधानिक उत्तरदायित्व निगम का नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा ढुलाई में लगे मजदूरों की आवास/भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

20– इस वर्ष, 2017 मे कैलाश – मानसरोवर यात्रा का संचालन पुराने मार्ग अर्थात नारायण स्वामी आश्रम से संचालित होगा तथा वापसी में यात्री सीधे बूॅद्धी से मॉगती आयेंगे । तत्पश्चात् यात्रियों का सामान मॉगती से धारचूला छोटे वाहनों से लाया जायेगा ।

21– यदि जौलजीवी से लिपुलेख के बीच मार्ग अवरूद्ध होता है तो ऐसी दशा में ठेकेदार द्वारा सामान ढुलान निविदानुसार स्वीकृत दरों पर ही करना होगा ।

22– ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह विभिन्न कैम्पों में सामग्री समय पर पहुॅचायेंगे । यात्रियों का सामान विभिन्न कैम्पों में यात्रियों के पहॅुचने के साथ ही साथ पहॅुचना होगा ।

23– सामान ढुलान की दर प्रति किलोग्राम प्रति किलोमीटर की दर से होगी ।

24– कैलाश–मानसरोवर यात्रा एवं आदि कैलाश यात्रा माह जून, 2017 से प्रारम्भ होगी ।

25– कैलाश–मानसरोवर यात्रा में 18 दलों में अनुमानित लगभग 1100 यात्री आदि कैलाश यात्रा में लगभग 400 यात्रियों की जाने की सम्भावना है । यात्रियों की संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी भी हो सकती है ।

26– यात्रा किसी भी माह में किन्ही भी प्राकृतिक या अन्य कारणों से बन्द भी हो सकती है । इसके लिए ठेकेदार का कोई भी क्लेम निगम की ओर नहीं होगा ।

27– किसी भी प्रकार के विवाद होने पर आर्विट्रेशन में मामला नहीं निपटने पर जाने पर उसका न्यायिक क्षेत्र नैनीताल होगा ।

28– किसी भी प्रकार का विवाद होने पर प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊॅ मण्डल विकास निगम द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा । वे दोनों पक्षों के किसी भी विवाद के लिये आर्बिटेटर रहेंगे ।

29– यात्रियो के सामान का बीमा, ढुलान हेतु ठेकेदार को भारतीय सीमा के अन्दर एक माह के लिये मान्य बीमा भी करना होगा । यदि बीमा की राशि का भुगतान निगम द्वारा किया जाता है तो यह धनराशि ठेकेदार के बिल से निगम द्वारा काट ली जायेगी ।

30– चयनित निविदादाता को अनुबन्ध सम्पादित करते समय उक्त प्रमाण–पत्रों (चरित्र प्रमाण–पत्र/हैसियत) मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगे । निर्धारित समय पर उक्त प्रपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत न किये जाने पर निविदा निरस्त करने का का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल को होगा ।

31– नारायण स्वामी आश्रम से निगम के विभिन्न शिविरों की दूरी निम्नवत होगी । नारायण स्वामी आश्रम से सिरखा 04 कि0मी0, सिरखा से गाला 14 किमी0, गाला से बूँदी 18 किमी0 बूदी से गुन्जी 17 किमी0, गुन्जी से कालापानी 9 किमी0, कालापानी से नावीढ़ाग 9 किमी0, नावीढ़ाग से लिपुपास 8 किमी0 (नारायण स्वामी आश्रम से लिपुपास 79 किमी0) एवं आदि कैलाश हेतु मॉगती से गाला 06किमी, गाला से बूॅद्वी 18 किमी, बूॅद्वी से गुंजी 17 किमी0 गुन्जी से कालापानी 09 किमी0 कालापानी से नावीढ़ाग 09 किमी, गुन्जी से कुटी 20 किमी0 कुटी से ज्योलिंगकौग 14 किमी0 ।

32– ठेकेदार का पूर्ण दायित्व होगा कि वे यात्रियों/निगम का सामान निश्चित समय पर यात्रा शैड्यूल के अनुसार विभिन्न शिविरो में होते हुये लिपुपास/जौलिंगकोंग तक पहॅुचायेगें तथा मार्ग में सामान या खाद्य सामग्री के खोने या क्षति होने पर उसकी वसूली ठेकेदार से सामाग्री के क्रय मूल्य से दुगनी दर से की जायेगी इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार को दी गयी सामग्री आदि में कमी पायी जाती है तो उसकी भी वसूली ठेकेदार से उक्तानुसार ही की जायेगी ।

33– ठेकेदार का अन्तिम भुगतान तभी किया जायेगा जब यात्रा समाप्ति पर निगम के विभिन्न शिविरों की सामग्री प्रभारियों से प्राप्त कर नारायण स्वामी आश्रम तक या मॉगती तक पहॅुचाई जायेगी तथा पहॅुचाई गयी सामग्री की रसीद प्रस्तुत करनी होगी । अन्तिम सत्यापन के पश्चात ठेकेदार ढुलान प्रयोजन हेतु लिखित सूचना निगम को उपलब्ध करायेगा ।

34– ठेकेदार द्वारा किसी भी शर्त का उलंघन करने पर, जिससे निगम को आर्थिक क्षति पहॅुचती है अथवा कार्य सन्तोषजनक नहीं रहता है तो रहने पर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी तथा कार्य सन्तोषजनक होने पर जमानत की राशि यात्रा समाप्ति के तीन माह बाद वापस कर दी जायेगी । इस अनुबन्ध की शर्तो के उलंघन होने पर ठेकेदार द्वारा निगम को जो भी क्षति पहॅुचाई जायेगी उसके लिये ठेकेदार निगम को क्षतिपूर्ति अदा करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

35– यात्रियों का सामान एवं कैम्पों का सामान ठेकेदार को नियत समय पर नियत स्थान पर पहॅुचाने की व्यवस्था करनी होगी ।

36– यदि भारत तिब्बत व्यापार या अन्य प्रयोजन हेतु सामग्री भेजी जाती है तो इस हेतु भेजी जाने वाली सामग्री के ढुलान की दरें भी उपरोक्तानुसार ही होगी ।

37– ठेकेदार द्वारा चयनित तीन सुपरवाइजर भी बरसात में रास्ते में अलग–अलग स्थानों पर रहेंगे जो यात्रियों की सामग्री समय पर ढुलान करा सके । खच्चरों का रास्ता बन्द होने पर ठेकेदार द्वारा सामान कुलियों द्वारा इन्हीं दी गई दरों पर ढुलान करना होगा ।

38– ठेकेदार की अनुपस्थिति में ठेकेदार द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सामग्री की सुपुर्दगी कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के सम्बन्धित अधिकारी को जायेगी ।

39– ठेकेदार अपने अधीन/सम्बद्व व्यक्तियों/श्रमिकों आदि जिन्हे अभी तक कर्मचारी भविष्य योजना मे सम्मिलित किये जाने का कार्य सम्बन्धित ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता द्वारा नही किया गया है तो सम्बन्धित संस्था/ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता को उनके अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि (E.P.F) काटना जरूरी है ।

कैम्प निम्न प्रकार निर्धारित होंगे जिनमें परिवर्तन भी हो सकता है ।

कैलाश–मानसरोवर यात्रा

जाते समय

मार्गः **1–** नारायण स्वामी आश्रम/सिरखा/गाला/बुंद्धि/गुन्जी/कालापानी/नावीढ़ाग एवं लिपुपास

आते समय

मार्गः **1–** लिपुपास/नावीढ़ाग/कालापानी/गुन्जी/बुंद्धि/गाला/मॉगती ।

आदि कैलाश यात्रा

जाते समय

मार्गः **1–** मॉगती/गाला/बूद्धी/गुन्जी/कालापानी/नावीढ़ाग/एवं वापस कालापानी/गुन्जी/कुटी/ज्योलिंगकॉग

आते समय

मार्गः **1–** ज्योलिंगकॉग/कुटी/गुन्जी/बुंद्धि/गाला/मॉगती

40– उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तो का उल्लेख अनुबन्ध मे उल्लिखित किया जायेगा ।

——————————0——————————

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल ।

निविदा का प्रारूप

1– निविदा दाता का नाम . . . .

2– पिता का नाम . . . .

3– स्थायी पता . . . .

. . . .

4– पत्राचार का पता . . . .

. . . . .PAN/TAN NO. . . . .

पास पोर्ट साईज फोटो चिपकाये

5– सम्पर्क नम्बर . . . . मोबाईल नं0 . . . .

6– धरोहर राशि हेतु संलग्न बैंक ड्राफ्ट नं0 . . . . .दिनॉक . . . .

जारी करने वाले बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम . . . .

7– टेण्डर फार्म की राशि रू0 . . . . रसीद सं0 . . . . दिनांक . . . .
. . .

<u>सामग्री ढुलान की दर :–</u>

कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु यात्रियों के सामान ढुलान नारायण स्वामी आश्रम से लिपुपास एवं वापस नारायण स्वामी आश्रम तक तथा आदि कैलाश यात्रा हेतु सामान ढुलान नारायण स्वामी आश्रम से ज्योलिंगकॉग वापस नारायण स्वामी आश्रम तक ।

अ– <u>ढुलान की दरें :–</u>

1– कैलाश –मानसरोवर यात्रा 1– **(A) खच्चर . . . . दर प्रति किलो0प्रति किमी0**
पोर्टर . . . . दर प्रति किलो0प्रति किमी0

<u>आदि कैलाश यात्रा</u> (B) खच्चर . . . . दर प्रति किलो0प्रति किमी0
पोर्टर . . . . दर प्रति किलो0प्रति किमी0

<u>नोटः</u> 1– कृपया दर का उल्लेख रूपये पैसे में स्पष्ट रूप से करें ।

मै घोषणा करता हूँ कि **कुमाऊँ मण्डल विकास निगम** द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार मैं ढुलान कार्य करने को तैयार हूँ तथा मुझे निगम की सभी शर्ते मान्य हैं।

दिनॉकः

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा जारी करने वाला अधिकारी

निविदा खोलने वाला अधिकारी